# अध्याय – 15

## वन विभाग में कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक

वन विभाग में विभागीय कार्यों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा उप वन संरक्षक एवं अन्य अधिकारियों के लिये वन विकास कार्यों के निरीक्षण, वन क्षेत्र निरीक्षण, वृक्षारोपण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उचित आदेश जारी किये जाते हैं एवं समय–समय पर समीक्षा कर कमीबेशी भी की जाती है।

वन विभाग क्रमशः भारतीय वन अधिनियम, राजस्थान वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों को लागू कर वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कर रहा है। उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, परिपत्र, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान वन सेवा, ाजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यों का संचालन कर रहा है।

वन विभाग में क्रमशः उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी व वनपाल स्तर के अधिकारी/ कर्मचारी वन सुरक्षा एवं विकास कार्यों से सीधे जुड़े हैं। अतः प्राथमिक तौर पर राज्रय सरकार द्वारा उपरोक्त कैडर में अधिकारियों हेतु कार्यकारी नार्म्स तय किये गये है जिनकी सूची अनेक्सचर 'ए' में संलग्न है। शेष अधिकारी जो उच्चस्तरीय या मध्यमस्तरीय प्रशासन से जुड़े हैं, पर्यवेक्षीय कार्य कर रहे हैं जिसके लिये समय–समय कार्यालय निरीक्षक एवं आवंटित कार्यक्षेत्र दिन व रात्रि विश्राम के नार्म्स भी राज्य सरकार द्वारा तय किये गये हैं जिसका समय–समय पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों की प्रभावी मोनिटरिंग क्रमशः मुख्य वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी की जाती है। विशेष परिस्थितियों में पृथक से भी कार्य आवंटित किये जाते हैं एवं अधिकारियों के कार्य निष्पादन की प्रगति को देखा जाता है।